संख्या–सा–3–465/दस –2014–301(9)/11

प्रेषक,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक पेंशन,
उत्तर प्रदेश इन्दिरा भवन लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 19 मई 2014

विषय : नई पेशन योजना से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों के सेवा से त्याग पत्र देने पर डी0सी0आई0 खाते मे जमा में जमा धनराशि का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–पें0नि0 /NPSमार्गदर्शन/2014/ 2016 दिनांक 07.05.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नई पेंशन योजना से आच्छादित ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनके वेतन से काटी गयी पेशनरी अंशदान की धनराशि डी0सी0आईव खाते में जमा की गयी परन्तु जिसका संक्रमण एन0एस0डी0एल0 में खुले PRAN खातों में नहीं होसका तथा कर्मचारी द्वारा सेवा से त्याग पत्र दे दिया, के मामलों में कर्मचारी अंशदान की संचित धनराशि का ब्याज सहित भुगतान सम्बन्धित कार्मिक को कर दिया जाय तथा शासकीय सेवा से त्याग पत्र देने पर पूर्व सेवाओं का हास हो जाता है, अतः राज्य सरकार द्वारा किये गये नियोक्ता अंशदान की ब्याज सहित संचित धनराशि राजकोष में जमा कर दी जाय।

भवदीय,

(नील रतन कुमार)
विशेष सचिव